पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 168/2016

अनवान :

1. दुनीचंद पुत्र जसराम उर्फ जेसराज जाति ब्राहम्ण निवासी बोझला तहसील भादरा (मृत)
   1/1 बनारसीदेवी पत्नी दुनीचंद
   1/2 सरस्वती पुत्री दुनीचंद
   1/3 रूपराम पुत्र दुनीचंद
   1/4 सिलोचना पुत्री दुनीचंद
   1/5 श्रीकृष्ण पुत्र दुनीचंद
   1/6 इन्द्रावती पुत्री दुनीचंद
   1/7 धर्मवीर पुत्र दुनीचंद
   1/8 सुमित्रा पुत्री दुनीचंद
   1/9 देवकी पुत्री दुनीचंद
   1/10 लालचंद पुत्र दुनीचंद
2. नानकौरी पुत्री जसराम उर्फ जेसराज जाति ब्राहम्ण निवासी बोझला।
3. गुलाबचंद पुत्र श्रवणकुमार
4. जगदीश पुत्र आसाराम
5. गोकुलराम पुत्र आसाराम

} जाति ब्राहम्ण निवासीगण बोझला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी श्याम मंदिर के पास, नगरपालिका के सामने, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मेघवाल पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी श्याम मंदिर के पास, नगरपालिका के सामने, नोहर हाल बाल विकास विभाग लूणकरणसर तहसील बीकानेर।
3. शिवरतन पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी 2ई 241 जेएनवी कॉलोनी बीकानेर।
4. सूर्यकिरण पुत्री परसराम
5. शांती पत्नी राधाकिशन

} जाति ब्राहम्ण निवासी श्याम मंदिर पास, नगरपालिका के सामने, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

6. सतीश – उपमण्डल अभियन्ता बीएसएनएल 2/118–119 हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन।
7. जयप्रकाश पुत्र राधाकिशन
8. गोपाल पुत्र कमलकांत
9. ललित कुमार पुत्र गुड्डु
10. जतिन पुत्र गुड्डू
11. प्रदीप पुत्र हरीश
12. राहुल पुत्र हरीश

} जाति ब्राहम्ण निवासी श्याम मंदिर के पास, नगरपालिका के सामने, नोहर त0 नोहर जिला हनुमानगढ़।

13. नरेश कुमार
14. सुरेश कुमार

} पिसरान चन्द्रमणी जाति ब्राहम्ण निवासी बोझला तहसील भादरा।

15. सुधा
16. मधु

} पुत्रियान चन्द्रमणी जाति ब्राहम्ण निवासी बोझला तहसील भादरा।

17. राजकुमार पुत्र किशनलाल
18. महादेवी पत्नी किशनलाल

} जाति ब्राहम्ण निवासीगण बोझला तहसील भादरा।

19. सन्तोष कुमार पुत्र किशनलाल
20. गिरीश कुमार पुत्र किशनलाल
21. सुनीता पुत्री किशनलाल
22. कुसुम पुत्री किशनलाल

} जाति ब्राहम्ण निवासीगण बोझला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

– प्रतिवादीगण

23. मोटाराम
24. लक्ष्मीनारायण
25. राजेन्द्र
26. लखीराम

पुत्रगण श्रवण कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी बोझला तहसील भादरा।

27. गोप
28. मूना
29. विद्या

पुत्रियान श्रवण कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी बोझला तहसील भादरा।

30. भतेरी
31. कृष्णा
32. सावित्री

पुत्रियान आसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बोझला तहसील भादरा।

32/1 रमेश, 32/2 ईश्वरसिंह पुत्रगण सावित्री

33. उमाशंकर
34. शिवकुमार

पिसरान रामभागी जाति ब्राहम्ण निवासी बरासरी तहसील सिरसा (हरियाणा)

35. चन्द्रमणी
36. विद्यादेवी
37. मीरां
38. मन्जू
39. सुमित्रा

पुत्रियान रामभागी जाति ब्राहम्ण निवासी बरासरी तहसील सिरसा (हरियाणा)

40. दीपक
41. संदीप

पुत्रान किशोर कुमार पुत्र रामभागी जाति ब्राहम्ण निवासी बरासरी तहसील सिरसा (हरियाणा)

42. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
43. ताराचन्द पुत्र श्रवणकुमार निवासी बोझला तहसील भादरा।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री श्याम सुन्दर शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खसरा सं0 446 की 13.860 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 23 ता 41 व 43 संयुक्त रूप से 3/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 22 संयुक्त रूप से 2/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड से परसराम का नाम कलमजन किया जाकर यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार वाद कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.1.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 168/2016

अनवान :

1. दुनीचंद पुत्र जसराम उर्फ जेसराज जाति ब्राहम्ण निवासी बोझला तहसील भादरा (मृत)
   1/1 बनारसीदेवी पत्नी दुनीचंद
   1/2 सरस्वती पुत्री दुनीचंद
   1/3 रूपराम पुत्र दुनीचंद
   1/4 सिलोचना पुत्री दुनीचंद
   1/5 श्रीकृष्ण पुत्र दुनीचंद
   1/6 इन्द्रावती पुत्री दुनीचंद
   1/7 धर्मवीर पुत्र दुनीचंद
   1/8 सुमित्रा पुत्री दुनीचंद
   1/9 देवकी पुत्री दुनीचंद
   1/10 लालचंद पुत्र दुनीचंद
2. नानकौरी पुत्री जसराम उर्फ जेसराज जाति ब्राहम्ण निवासी बोझला।
3. गुलाबचंद पुत्र श्रवणकुमार
4. जगदीश पुत्र आसाराम
5. गोकुलराम पुत्र आसाराम

} जाति ब्राहम्ण निवासीगण बोझला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी श्याम मंदिर के पास, नगरपालिका के सामने, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मेघवाल पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी श्याम मंदिर के पास, नगरपालिका के सामने, नोहर हाल बाल विकास विभाग लूणकरणसर तहसील बीकानेर।
3. शिवरतन पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण निवासी 2ई 241 जेएनवी कॉलोनी बीकानेर।
4. सूर्यकिरण पुत्री परसराम
5. शांती पत्नी राधाकिशन

} जाति ब्राहम्ण निवासी श्याम मंदिर पास, नगरपालिका के सामने, नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

6. सतीश – उपमण्डल अभियन्ता बीएसएनएल 2/118–119 हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन।
7. जयप्रकाश पुत्र राधाकिशन
8. गोपाल पुत्र कमलकांत
9. ललित कुमार पुत्र गुड्डु
10. जतिन पुत्र गुड्डू
11. प्रदीप पुत्र हरीश
12. राहुल पुत्र हरीश

} जाति ब्राहम्ण निवासी श्याम मंदिर के पास, नगरपालिका के सामने, नोहर त0 नोहर जिला हनुमानगढ़।

13. नरेश कुमार
14. सुरेश कुमार

} पिसरान चन्द्रमणी जाति ब्राहम्ण निवासी बोझला तहसील भादरा।

15. सुधा
16. मधु

} पुत्रियान चन्द्रमणी जाति ब्राहम्ण निवासी बोझला तहसील भादरा।

17. राजकुमार पुत्र किशनलाल } जाति ब्राहम्ण निवासीगण बोझला

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

18. महादेवी पत्नी किशनलाल — तहसील भादरा।
19. सन्तोष कुमार पुत्र किशनलाल
20. गिरीश कुमार पुत्र किशनलाल
21. सुनीता पुत्री किशनलाल
22. कुसुम पुत्री किशनलाल
— जाति ब्राहम्ण निवासीगण बोझला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

23. मोटाराम
24. लक्ष्मीनारायण
25. राजेन्द्र
26. लखीराम
— पुत्रगण श्रवण कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी बोझला तहसील भादरा।

27. गोप
28. मूना
29. विद्या
— पुत्रियान श्रवण कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी बोझला तहसील भादरा।

30. भतेरी
31. कृष्णा
32. सावित्री
— पुत्रियान आसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बोझला तहसील भादरा।

32/1 रमेश, 32/2 ईश्वरसिंह पुत्रगण सावित्री

33. उमाशंकर
34. शिवकुमार
— पिसरान रामभागी जाति ब्राहम्ण निवासी बरासरी तहसील सिरसा (हरियाणा)

35. चन्द्रमणी
36. विद्यादेवी
37. मीरां
38. मन्जू
39. सुमित्रा
— पुत्रियान रामभागी जाति ब्राहम्ण निवासी बरासरी तहसील सिरसा (हरियाणा)

40. दीपक
41. संदीप
— पुत्रान किशोर कुमार पुत्र रामभागी जाति ब्राहम्ण निवासी बरासरी तहसील सिरसा (हरियाणा)

42. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
43. ताराचन्द पुत्र श्रवणकुमार निवासी बोझला तहसील भादरा।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं जोत विभाजन
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज0 काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री श्याम सुन्दर शर्मा : वादीगण

निर्णय **दिनांक :** 31.1.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि फरीकेन के पुर्वज गांव रासलाना में ठिकाना रासलाना के सरदार के ब्राहम्ण का कार्य करते थे, इसकी एवज में ठिकाना रासलाना के सरदार ने जसराज उर्फ जेसराज ब्राहम्ण जो वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 23 ता 41 के पूर्वज थे, को 25 बिघा जमीन जरीब 60 हाथ जरिये पुन्यार्थ (डोली) दी थी तथा जेसराज के पिता सजराम उर्फ सहदेवाराम को पुन्यार्थ सम्वत् 1971 में 101 बिघा जमीन डोली/पुन्यार्थ मिली थी जिसकी बाबत लिखित ठिकाना के सरदार ने सम्वत् 1980 मिति आसोज दिनांक 10.10.1923 को कर दी थी जिस पर उनके हस्ताक्षर अंग्रेजी व उस समय की प्रचलित भाषा (मोड़ी) में किशनसिंह ने हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार ठिकाना रासलाना के सरदार ने फरीकेन के पूर्वजों को जेसराज को 25 बिघा व सहदेवाराम को 101 बिघा भूमि दी थी जिसकी लिखित मोडी भाषा में है। भाषा का रूपान्तरण बलवीरसिंह चौधरी द्वारा दिनांक 26.11.2002 को किया गया है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

उक्त भूमि खतौनी बन्दोबस्त राज बीकानेर के हुकुम दफ्तर सेटलमेन्ट ऑफीसर राजगढ तारीख 29.07.1994 को उक्त भूमि 54 बीघा 16 बिस्वा में परिवर्तित हुई। इस भूमि के राजस्व रिकार्ड में किशनलाल, चन्द्रमणी पिसरान हजारीमल बहिस्सा बराबर एक तिहाई, परसराम वल्द श्योनारायण हिस्सा एक तिहाई, जसराज वल्द सहदेवाराम एक तिहाई हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई थी। उक्त अंकन गलत दर्ज किया गया है। वास्तव में उक्त आराजी में जसराज उर्फ जेसराज 2/3 हिस्सा व श्योनारायण का 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था परन्तु सेटलमेन्ट ऑफीसर द्वारा उक्त इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया गया है जिससे वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 23 ता 41 के हितों पर विपरीत असर पडता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 17, 19, 20 ता 22 ने इकबालदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4, 8, 11, 12, 15, 21 ने जबाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 स्वयं हाजीर अदालत आया व जबाब के लिए समय चाहा जबाब पेश नहीं करने के कारण जबाब देही बन्द की गई। अन्य प्रतिवादीगण की तलबी हेतु राष्ट्रीय अखबार में साया करवायी गई। शेष को आवाज लगाई गई बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद को अभिनिर्धारण करने के लिए निम्न विवाधक कायम किये गये।

1. आया कि वादभूमि खसरा सं0 446 मिन 13.860 है0 बारानी भूमि के 2/3 हिस्सा पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 23 ता 41 व 43 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है ?

   — वादीगण
2. आया कि रोही मौजा रासलाना के ठिकाना सरदार ने जसराम उर्फ जेसराम ब्राहम्ण को 25 बीघा जमीन जरीब 60 हाथ डोली दी है ?

   — वादीगण
3. आया कि वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई वाद कारण एवं वाद लाने का अधिकार हासिल नहीं है ?

   — प्रतिवादीगण
4. अनुतोष ?

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 गोकुलराम, पीडब्ल्यु 2 श्रीकृष्ण, पीडब्ल्यु 3 गुलाब की साक्ष्य करवाई गई व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लिखित ठिकाना सरदार किसनसिंह ठीकाना रासलाना, प्रदर्श 2 लिखित ठिकाना सरदार रासलाना का भाषा रूपान्तरण, प्रदर्श 3 खतौनी बंदोबस्त बीकानेर रियासत सम्वत् 2002 नम्बर खतौनी 179, प्रदर्श 4 असल पत्र जिला कलक्टर हनुमानगढ का पत्रांक 1804 दिनांक 17.05.10, प्रदर्श 5 मूलपत्र 2300 दिनांक 30.08.2010 निदेशालय राज्य अभिलेखागार बीकानेर तथा प्रदर्श 6 नकल जमाबन्दी रोही मौजा रासलाना सम्वत् 2067—70 खाता संख्या 116/116 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीगण द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद में 4 तनकीयात कायम की गई है तनकीवार निर्णय इस प्रकार है :—

तनकी सं0 1 : इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने वाद को साबित करने के लिए पीडब्ल्यु 1 गोकुलराम ने कुल वाद में मौजूद जमाबन्दी में

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

कुल 54 बीघा 16 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी सं0 23 ता 41 सयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा काश्त कर रहे है तथा श्योनारायण के वारिस 1/3 हिस्सा पर काश्त कर रहे है तथा वाद भूमि कब्जा काश्त के अनुसार राज श्री बीकानेर रियासत से पहले रासलाना में ठिकाना सरदार किशनसिंह द्वारा पुन्यार्थ (डोली) में देना कथन किया है तथा पीडब्ल्यु 2 कृष्णा व पीडब्ल्यु 3 गुलाबचन्द ने भी इसी अनुसार कब्जा काश्त होना कथन किया है। परसराम के वारिस प्रतिवादी सं0 2 मेघराज हाजिर आने के पश्चात् भी वाद का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया है तथा दिनांक 15.09.2016 को जबाब देही बंद की जा चुकी है एवं प्रतिवादी सं0 4, 8, 11, 12 के द्वारा जबाब पेश किया गया असल प्रतिवादीगण द्वारा जबाब में दावा का तो खण्डन किया है लेकिन स्वयं का कब्जा होना कहीं भी कथन नहीं किया है तथा जबाबदावा की मद सं0 18 में पारिवारिक सम्पति का बंटवारा से वादीगण के वंशज का 2/3 भाग नहीं दर्शाया जाकर हजारीमल का 2/3 भाग बताया। जबाबदावा से यह साबित होता है कि प्रतिवादी सं0 1 ता 22 एवं उनके पूर्वजों का वादभूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रदर्श 1 में श्री किशनसिंह जी सरदार ठीकाना रासलाना द्वारा जेसराज को 25 बीघा तथा जेसराज के पिता सजराम उर्फ सहदेवाराम को 101 बीघा भूमि दिया जाने का कथन है भाषा रूपान्तरण प्रदर्श 2 में अंकन है। चूंकि वादभूमि में वादीगण द्वारा खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2000 में वादीगण के वंशज जसराम उर्फ जेसराज का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा उसी अनुसार प्रदर्श 6 में अंकन है जिसको चुनौति दी गई है जिसका प्रतिवादीगण द्वारा जबाब या अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य से कहीं भी खण्डन नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण ने सजरा खानदान को अधूरा बताकर अस्वीकार किया है मगर कहीं भी सजरा खानदान का खण्डन नहीं किया है न ही यह साबित किया गया है कि किस कारण से अधूरा है, जबकि प्रतिवादीगण ने इकबालदावा में सजरा खानदान को स्वीकार किया है इससे मद सं0 1 में सहदेवाराम उर्फ सजराम के दो पुत्र श्योनारायण व जसराम हो, साबित है व परसराम को श्योनारायण का पुत्र व हजारीमल का भाई होना स्वीकार किया है। वाद भूमि पर वर्तमान में वादीगण का तथा उससे पूर्व वादीगण के पूर्वजों का सम्वत् 2000 से पूर्व यानि बीकानेर रियासत से पहले ही कब्जा काश्त से चली आ रही है। सम्वत् 2012 में यानि काश्तकारी अधिनियम 1955 से लागू होने से पूर्व ही वादीगण 2/3 भाग पर काबिज है जो प्रतिकूल कब्जा काश्त (एडवर्स पजेसन) के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुके है। इस प्रकार यह तनकी वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है। इसलिए यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 ता 22 तथा वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं0 2 : इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रदर्श 1 ठाकर राज श्री किशनसिंह सरदार ठिकाना रासलाना द्वारा सम्वत् 1980 तारीख 10.10.1923 का लिखित दस्तावेज है जिसमें जेसराज को 25 बीघा व जेसराज के पिता सजराम 101 बीघा भूमि पुन्यार्थ (डोली) देना दर्शाया गया है। चूंकि उक्त दस्तावेज मोडी भाषा में लिखित होने के कारण श्री बलवीर सिंह द्वारा दिनांक 26.11.2002 को हिन्दी भाषा में रूपान्तरण किया है जो प्रदर्श 2 है। उक्त दोनों दस्तावेजों को प्रतिवादीगण द्वारा जबाब या साक्ष्य के द्वारा कहीं भी खण्डन नहीं किया है तथा तनकी नं0 1 में वादीगण द्वारा साबित किया है, इसलिए यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं0 3 : उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण सं0 4, 11, 15 ने अपने जबाबदावा में अंकित किया है कि परसराम के पुत्र कमलकांत को फौत होना दर्शाया है तथा उसके वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया। चूंकि सजरा खानदान के मुताबिक गुड्डू फौत है जिसके दो पुत्र जतिन पुत्र गुड्डू व ललित कुमार पुत्र गुड्डू वाद में प्रतिवादी सं0 9 व 10 प्रतिस्थापित है। किन कारणों से वाद

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

कारण हासिल नहीं है इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के द्वारा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किये गये है जिससे यह साबित होता है कि वादीगण को वाद कारण हासिल है, इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

इस प्रकार जसराम की 25 बीघा अकेले की एवं व 101 बीघा में दोनों भाईयों की 50—50 बीघा जमीन बनती है जसराम का 75 बीघा हिस्सा एवं श्योनारायण का 50 बीघा हिस्सा बनता है। कुल जमीन के 5 हिस्से करने पर जसराम का 3/5 हिस्सा एवं श्योनारायण का 2/5 हिस्सा बनता है। बन्दोबस्त विभाग के अनुसार समस्त 126 बीघा जमीन को पक्की जमीन 54 बीघा 16 बिस्वा में परिवर्तन किया। समस्त भूमि में सैटलमेन्ट के समय परसराम को सहदेवाराम के हिस्से का 1/3 हिस्सेदार बना दिये गया। जबकि परसराम सहदेवाराम का पुत्र न होकर श्योनारायण का पुत्र है। परसराम का दावा के अनुसार नाम हटाए जाने के उपरान्त परसराम की भूमि सहदेवाराम के वारिसान श्योनारायण व जसराम दोनों के वारिसान के हिस्सा में बंटेगी। सम्पूर्ण 54 बीघा 16 बिस्वा को 5 बराबर हिस्सों में बंटवारा करने पर जेसराज उर्फ जसराम का 3/5 हिस्सा एवं श्योनारायण का 2/5 हिस्सा कानूनन बनता है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खसरा सं0 446 की 13.860 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 23 ता 41 व 43 संयुक्त रूप से 3/5 हिस्सा के खातेदा र काश्तकार है एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 22 संयुक्त रूप से 2/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड से परसराम का नाम कलमजन किया जाकर यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार वाद कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़